**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1104**

**23 मार्च, 2012 को उत्तरार्थ**

**विषय : कपास के बीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत पुन: लाया जाना**

**1104 : श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी :**

**श्री काजी भाई पटेल :**

**क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

1. क्या सरकार ने कपास के बीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लाया है और वह कपास के बीजों के मूल्यों को नियंत्रण-मुक्त करना चाहती है ;

(ख) क्या इससे केवल निजी बीज कम्पनियों को इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाने

में मदद मिलेगी ;

(ग) क्या सरकार कपास के मूल्यों को विनियमित करने हेतु नियम बनाने की इच्छुक

है;

1. क्या कपास के बीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंन्तर्गत पुन: लाया जाना

सुधारों, उदारीकरण, बाजार केन्द्रित अर्थव्यवस्था की नीतियों और विश्व व्यापार

संगठन के दायित्वों के विरुद्ध नहीं है; और

1. क्या केन्द्रीय सरकार यदि वह बी0टी0 कपास के बीजों के मूल्यों को विनियमित न

कर रही हो तो उस स्थिति में राज्यों को बी0टी0 कपास के मूल्यों को विनियमित

करने की शक्ति प्रदान करने पर विचार करेगी ?

**उत्तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डॉ0 चरण दास महन्त )**

**(क) :** कपास बीज के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और गुणवत्ता को विनियमित करके कपास उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए दिनांक 22.12.2009, 18.6.2010 और 22.12.2010 को उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं द्वारा कपास बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में पुन: शामिल किया गया है | यद्यपि इसे शामिल करने से कपास बीज गुणवत्ता बिनियमन सुदृढ़ हुआ है और यह नकली कपास बीज की

…2/-

-: 2 :-

बिक्री को रोकने में भी निवारक का काम करता है फिर भी इसमें कपास बीज के मूल्य विनियमन का कोई प्रावधान नहीं है | इसके अलावा, बीज अधिनियम,1966, बीज नियम, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के तहत कपास बीज सहित बीजों के मूल्य विनियमन के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है | हालांकि बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में गुणवत्ता विनियमन की दृष्टि से बीज एक आवश्यक जिन्स है, न कि बीज के मूल्य विनियमन के प्रयोजन से |

**(ख) :** जी, नहीं | आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कपास बीज को शामिल करने से न केवल कपास किसानों को गुणवत्ताप्रद बीजों का उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है बल्कि यह नकली/घटिया बीज की बिक्री में निवारक का कार्य करके कपास बीज गुणवत्ता विनियमन को भी सुदृढ़ करता है |

**(ग) :** वर्तमान में, सरकार के पास कपास बीज सहित बीजों के मूल्य विनियमन के लिए नियम बनाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है |

**(घ)** : कपास बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पुन: शामिल करने से केवल कपास बीज के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और गुणवत्ता का विनियमन होता है एवं इससे कपास बीज के मूल्य का विनियमन नहीं होता है और इस प्रकार यह सुधार उदारीकरण नीतियों, बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था और डब्ल्यूटीओ बाध्यताओं के विरुद्ध नहीं है |

**(ड.) :** जी, नहीं | बीटी कपास बीजों का मूल्य विनियमन वांछनीय नहीं है क्योंकि एक प्रतिस्पर्धी और गतिशील बीज उद्योग समय पर उचित मूल्य पर गुणवत्ताप्रद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करके किसानों के हितों की रक्षा कर सकेगा |

**\*\*\*\*\*\***